

537

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :- प.9(3)नविवि/3/2005

दिनांक 18.05.2005

परिपत्र

विषय :- राज्य महिला नीति की क्रियान्विति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के अनुसार सम्पत्ति के मामलों में महिलाओं का नाम दर्ज किया जाना है। अतः भूमि आवंटन के प्रकरणों में महिलाओं का नाम दर्ज किया जाए। कच्ची बस्ती नियमन के प्रकरणों में इस विभाग के पत्र क्रमांक प.9(1)नविआ/3/95 दिनांक 9.6.1999 के द्वारा पट्टा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से जारी किये जाने के निर्देश दिए गए थे। अतः इसकी पालना की सुनिश्चिता की जाए।

प्रमुख शासन सचिव